

वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से मिलीं दिल्ली में

चर्चा है कि उन्हें पार्टी में या सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलेगा: यह आरएसएस का दबाव है, पर वह पद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है



दिव्या देशमुख ने चैस वर्ल्डकप जीता

गडकरी द्वारा सरकार के काम काज के लिए “निकम्मा” शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है?

आम धारणा है, इस शब्द का इस्तेमाल कोई अनायास उद्गार नहीं, बल्कि सोचा-समझा आक्रमण है, मोदी-शाह के काम काज के तरीके पर

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जुलाई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जबकि, यह चर्चा जोरों पर है कि आर.एस.एस. चाहती है कि वसुंधरा को पार्टी या सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए।

इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज शाम दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों, जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, सी.आर. पाटिल और अन्य नेताओं से मुलाकात की। चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व राजस्थान सरकार के प्रदर्शन की गंभीरता से समीक्षा कर रहा है, क्योंकि राज्य नेतृत्व ना तो प्रशासन ठीक से संभाल पा रहा है और ना ही राजनीति को। वसुंधरा राजे सरकार की आलोचक रही हैं और उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्य समस्या यह है कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह

- दूसरी ओर मु.मंत्री भजनलाल भी शाम को दिल्ली पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान, एम.एल. खट्टर, सी.आर. पाटिल से भेंट की।
- आरएसएस को खुशी होगी, अगर वसुंधरा राजे भाजपा अध्यक्ष बनें। पर, भाजपा उन्हें इस पद पर पूरी तरह “एडजस्ट” करने को तैयार नहीं है। पहले भाजपा को बहाना मिला हुआ था कि अभी उस स्तर की जगह खाली नहीं है। पर, अब उपराष्ट्रपति का पद खाली है।
- वसुंधरा राजे को दिल्ली में महत्वपूर्ण पद मिलने की काफी संभावना है, पर, यह पद भजनलाल की कुर्सी होगी, इसकी संभावना नगण्य है।

दोनों ही वसुंधरा को ना तो पसंद करते हैं और ना ही भरोसा करते हैं। भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी अमित शाह ने ही लिया था, जबकि वे पहली बार विधायक बने थे और उन्हें प्रशासन या राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। आर.एस.एस. चाहती है कि वसुंधरा भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें, लेकिन भाजपा नेतृत्व फिलहाल इस पर राजी नहीं है। पहले तो यह कहा जाता

था कि कोई पद खाली नहीं है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का पद खाली है। भजनलाल को बदला जाएगा या नहीं, यह तय नहीं है, केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन यह साफ है कि वसुंधरा राजे उनका स्थान नहीं लेंगी। पार्टी के अंदर भारी उठापटक चल रही है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जल्द ही जगदीप धनखड़ के समर्थन में बयान देने

वाले हैं। वे कह सकते हैं कि धनखड़ ने 75 की उम्र से पहले इस्तीफा देकर सही किया और मोदी को भी ऐसा ही करना चाहिए। यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर सकता है। यह भी समझा जा रहा है कि हाल ही में इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और वे खुलकर तीखे बयान दे सकते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि धनखड़ जो बोलेंगे उससे मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मोदी को अपनी पसंद का उपराष्ट्रपति और भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने में मुश्किल आ रही है। इस स्थिति में संभावना है कि जेपी नड्डा को ही कुछ समय और अध्यक्ष बनाए रखा जाए, बजाय किसी बड़ी शर्मिंदगी का सामना करने के। भजनलाल को हटया जाएगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि वसुंधरा को भाजपा में शायद वह बड़ा पद नहीं मिलेगा जिसकी वह उम्मीद कर रही है।

जॉर्जिया, 28 जुलाई। भारत की युवा चैस प्लेयर दिव्या देशमुख ने महिला चैस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हंपी को शिकस्त देते हुए ये खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चैस स्टार बन गईं।

- दिव्या ने टाईब्रेक राउन्ड में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया। टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और फाइनल में जगह बनाई। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रां खेले। जिसके बाद सोमवार को टाईब्रेक राउंड हुआ, जिसमें दिव्या ने 2.5-1.5 के स्कोर से बाजी मारी। दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जुलाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सरकार के कामकाज को “निकम्मा” कहे जाने से भाजपा और एनडीए में बढ़ती अंदरूनी दरारें फिर से उजागर हो गईं। अपने गृह नगर नागपुर में दिए एक तीखे भाषण में गडकरी ने नागपुर महानगर पालिका, नागपुर सुधार न्यास और कुछ कॉर्पोरेट समूहों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में अड़गे डालने का आरोप लगाया। हालांकि गडकरी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का संकेत एकदम साफ और राजनीतिक रूप से भारी था। उन्होंने कहा, “चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एनएमसी या एनआईटी अगर वे योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते, तो सरकार को “निकम्मा” करार दिया जाता है।” इस बयान को महज एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि मोदी

- क्या यह संकेत दिया जा रहा है कि अगर मोदी पचहत्तर की उम्र पार करके रिटायरमेंट लेते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कई विकल्प मौजूद हैं, पार्टी में।
- गडकरी की हाल ही में कुछ सालों से अनदेखी हो रही है, भाजपा में। उदाहरण के लिए, गडकरी को भाजपा के ससंदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।
- साथ ही आरएसएस में भी कुछ बेचैनी सी है, मोदी-शाह द्वय की काम करने की “सैंट्रलाइज़्ड” नीति से।
- हालांकि, अभी मोदी जी की “स्टाइल” को चुनौती नहीं है, पर, मोदी मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री, जिनकी जड़ें आरएसएस में हैं, द्वारा सार्वजनिक रूप से कुछ शिकायत दर्ज कराना, इस बात का संकेत जरूर है कि मोदी जी की विदाई के बाद आंतरिक थड़ेबाजी बढ़ेगी।

सरकार की कार्यशैली पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भाजपा को एकजुट रहने की सख्त जरूरत है क्योंकि 2026 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नेतृत्व परिवर्तन भी संभावना है। सूत्रों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘इन-हाउस जाँच में शामिल होने के बाद इसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं आप’

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सख्त सवाल पूछे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि उन्होंने जाँच प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उस पर क्यों सवाल उठाया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि उनका मानना था कि जाँच समिति को इस मामले की जाँच का अधिकार नहीं था, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट के आने तक इंतजार क्यों किया?

जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने इन-हाउस जाँच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में उन्हें “केस-एट-होम” कांड में दोषी उहाराया गया है। जस्टिस वर्मा ने अपने दिल्ली स्थित आवास से बरामद नकदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संविधान में दिए गए न्यायाधीश को हटाने के नियमों की ओर इशारा किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आपका मत है कि कमेटी को जाँच का अधिकार नहीं है तो आपने कमेटी को चुनौती देने के लिए रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने वर्मा पर एक्शन की अनुशंसा करते हुए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा, उसमें महाभियोग की बात है, यह आपको कैसे पता है, पत्र तो सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के साथ इन-हाउस जाँच कमेटी की रिपोर्ट संलग्न नहीं करने पर जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल को भी लताड़ा।

सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि तीन-न्यायाधीशों वाली समिति की रिपोर्ट याचिका के साथ संलग्न नहीं है, तो जस्टिस दत्ता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, “तीन-न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट कहाँ है?” जब सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है, तो जस्टिस दत्ता ने जवाब दिया, “नहीं, आपको अपनी याचिका के साथ वह रिपोर्ट संलग्न करनी चाहिए थी।”

सिब्बल ने कहा कि संविधान के अनुसार, जब तक किसी न्यायाधीश का गलत आचरण साबित न हो जाए, तब तक उसके आचरण पर संसद में भी चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, “अगर संसद में भी तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक गलत आचरण सिद्ध न हो, तो फिर यह मानना कठिन है कि यह कार्यवाई कहीं और स्वीकार्य है। टेप्स का सार्वजनिक होना, वेबसाइट पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर स्कूल का प्रवेशद्वार गिरा, बालक की मौत, 2 घायल

जैसलमेर, 28 जुलाई (नि.सं.)। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनमनगर में विद्यालय का प्रवेशद्वार गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई व 2 अन्य घायल हो गए। मृतक बालक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का भाई था और अपनी बहन को लेने आया था। एक शिक्षक अशोक

- सात वर्षीय अरबाज अपनी बहन को लेने बालिका विद्यालय आया था। स्कूल की छुट्टी के समय हुए हादसे में एक शिक्षक और 5 वर्षीय छात्रा भी घायल हुए।

कुमार सोनी पुत्र केसरीमल सोनी (आयु 40 वर्ष) एवं एक अन्य छात्रा प्रिया पुत्री महेंद्र कुमार (आयु 5 वर्ष) घायल हो गईं। मृतक बालक की पहचान अरबाज खान पुत्र तालब खान (आयु 7 वर्ष) के रूप में हुई है। यह हादसा स्कूल की छुट्टी के समय हुआ। प्रवेशद्वार की स्थिति पिछले कुछ समय से जर्जर बताई जा रही थी। सूचना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल रोल के प्रारूप के प्रकाशन पर रोक लगाने से इन्कार किया

पर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, बहुत सारे लोगों से मताधिकार छीनने के बजाय लोगों को मताधिकार देने पर फोकस होना चाहिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग की विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बार में अंतिम निर्णय करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह कल मामले की अंतिम सुनवाई की समय-सारणी तय करेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया कि “व्यापक रूप से निष्कासन” के बजाय “व्यापक रूप से समावेश” की दिशा में काम होना चाहिए। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि मतदाता सूची को अंतिम रूप से अंतिम रूप न दिया जाए और मसौदा सूची के प्रकाशन

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूर्व सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी थी और चुनाव आयोग ने भी माना है कि आधार व वोटर आई डी पहचान दस्तावेज हैं। इसलिए स्ट्रे ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं उठता।

पर रोक लगाई जाए। इस पर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पिछले आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती और मामले का निपटारा एक बार में किया जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि वह बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत आधार और वोटर आई स्वीकार करना जारी रखे, क्योंकि दोनों दस्तावेजों को “प्रामाणिकता की धारणा प्राप्त है। 10 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वह आधार कार्ड, राशन कार्ड या

पहले जारी किए गए वोटर आई को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करे। हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि केवल इन दस्तावेजों के आधार पर किसी को मतदाता सूची में जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वैरिफिकेशन को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आयोग प्राथमिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत है और चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामों में माना है कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, हम मानते हैं कि वे आसानी से नकली बनाए जा सकते हैं,

लेकिन आधार और वोटर कार्ड में कुछ प्रामाणिकता होती है और इन्हें वैध माना जा सकता है। आप इन्हें स्वीकार करते रहें।” याचिकाकर्ताओं ने इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा और वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने एक चुनावी राज्य में पर्याप्त सुरक्षा उपायों या सार्वजनिक स्पष्टता के बिना इतनी बड़ी पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, जिससे करोड़ों लोगों, खासकर मुस्लिमों, दलितों और गरीब प्रवासियों के मताधिकार छिनने की आशंका है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात को भी चुनौती दी कि नागरिकों को अपनी पात्रता साबित करने का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है, जबकि पहले यह राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह भी कहा कि आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्यता नहीं देना अनुचित है, जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंग्लैण्ड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को प्रथम वर्ष में 4,060 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और ब्रिटेन को 3,884 करोड़ रुपये का

पर, इस एग्रीमेंट से भारत की छवि ट्रेड डिप्लोमैसी (व्यावसायिक कुटनीति) में एक गंभीर खिलाड़ी की हो जायेगी, जिससे अब यूरोपियन यूनियन, कैनडा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउन्सिल से शीघ्र ही होने वाले व्यापारिक समझौतों में भी लाभ मिलेगा

भारतीय सामान ब्रिटिश बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इससे खासतौर पर परिधान, वस्त्र, चमड़ा, रत्न-जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान और दवाओं के निर्यातकों को लाभ होगा। ब्रिटेन जैसा उच्च-मूल्य वाला बाजार भारतीय व्यापारियों के लिए सुलभ होना एक बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय वस्त्र और जूते-चप्पल, जिन पर पहले 10-12 प्रतिशत तक शुल्क लगता था, अब ड्यूटी-फ्री मिलेंगे। दवाओं के मामले में भी बड़ी सफलता यह है कि ब्रिटेन ने भारतीय “गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस” (जी.एम.पी.) को मान्यता दे दी है,

- साथ ही ब्रिटेन से एफटीए से भारत को फार्मास्यूटिकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मिनरल्स के व्यापार में लाभ मिलेगा।
- ब्रिटेन द्वारा भारतीय प्रोफेशनल डिग्रियों को मान्यता देने से भारत के सर्विस प्रोवाइडर, विशेषकर आईटी व कंसल्टिंग के मार्केट में आउटरीच में भारी वृद्धि मिलेगी।

जिससे भारतीय जेनेरिक दवाओं को ब्रिटेन में जल्दी और आसानी से एंटी मिलेगी। सेवाओं के क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) में भी यह समझौता अहम है। ब्रिटेन ने भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा नियमों

रिश्ते भी मजबूत होंगे। एक अन्य बड़ा लाभ है ब्रिटेन से भारत में निवेश में वृद्धि की संभावना। यह समझौता ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मैनुफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को आसान बनाएगा। विदेशी निवेश से न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि नई तकनीक आएगी और “मेक इन इंडिया” व आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। चीन से सप्लाय चेन हटाने के ब्रिटेन के प्रयास में भारत एक विश्ववसनीय विकल्प बनकर उभरेगा, जिससे भारतीय निर्माताओं को खासतौर पर

फायदा होगा। भारत को पहले से ही ब्रिटेन के साथ सेवाओं जैसे (आईटी सलाह देना आदि) के व्यापार में फायदा होता है और यह समझौता इस फायदे को और बढ़ाएगा। इस समझौते से भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे की पेशेवर डिग्रियों और योग्यता को मान्यता देंगे। इससे भारतीय आईटी कंपनियों और सलाहकार (कंसल्टिंग) सेवाओं का ब्रिटेन में काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। ब्रिटेन की सरकार भी अब भारतीय कंपनियों को ज्यादा काम दे सकती है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कायम चूर्ण

कायम टेबलेट

कायम ग्रैन्यूल्स

भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का उत्पादन

UIN:GUJARAT/0003/2025

विचार बिन्दु

अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु श्रेष्ठ होती है।
—चंद्रशेखर वेंकट रमण

उपराष्ट्रपति धनखड़ का त्यागपत्र और उसके सबक

21 जुलाई 2025 की रात्रि 9:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से त्यागपत्र देकर, त्यागपत्र को अपने दिवटर (एक्स) अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इस्तीफे का कारण “अस्वस्थता और चिकित्सकीय सलाह” बताया गया। यह बात अविश्वसनीय लगी क्योंकि उस दिन राज्यसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था और उन्होंने उसका सभापति के रूप में अच्छी तरह संचालन किया था। वैसे भी खराब स्वास्थ्य होने पर उपराष्ट्रपति पर रहते हुए कहीं अधिक अच्छा इलाज हो सकता है ना कि त्यागपत्र देने के बाद। जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल अगस्त, 2027 तक था।

यदि उनके इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य नहीं है तो फिर इसके दो ही कारण हो सकते हैं, पहला यह कि उन्होंने सरकार द्वारा अपनी उपेक्षा के कारण अपमानित महसूस करने से अपना पद छोड़ दिया हो और दूसरा यह कि सरकार ने नाराज होकर उनसे त्यागपत्र देने हेतु कहा हो। अटकलों के अनुसार धनखड़ के अपमानित महसूस करने के कारणों में उन्हें उपयुक्त प्रोटोकॉल सुविधा न मिलना, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जे डी बांस की भारत यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात निश्चित नहीं करना आदि प्रमुख थे। इसी प्रकार, सरकार के द्वारा, विशेष कर सरकार के मुखिया की नाराजगी के कारणों में जस्टिस वर्मा के महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाना, सार्वजनिक समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह की उपस्थिति में सरकार की आलोचना करना, विपक्ष के नेता खरगे को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना के बारे में अपनी बात करने का एक अवसर देना, प्रमुख माने जा रहे हैं। सुना तो यह भी जा रहा है कि सरकार ने उन्हें यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि वे तत्काल त्यागपत्र नहीं देंगे तो उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाएगा।

हम इस इस आलेख में इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे कि उनके इस्तीफे के पीछे कारण क्या रहे? कारण कुछ भी रहे हो हों, लेकिन यह त्यागपत्र साधारण नहीं है और इसके कई अर्थ निकलते हैं और इससे कुछ सबक भी लिया जा सकता हैं । उन्हीं की चर्चा हम यहां करेंगे।

जब धनखड़ को बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था तब भी सबको आश्चर्य हुआ था क्योंकि वे तो एक प्रकार से राजनीतिक गुमनामी में थे । जो काम उन्हें बंगाल में सौंपा गया, उसको उन्होंने भरपूर तरीके से निभाने का प्रयास किया । उनके लिए यहां तक कहा जा सकता है कि उन्होंने “more loyal than king” के सिद्धांत पर काम किया उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपमानित करने और उनके काम में बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा करते समय उन्होंने सत्ताधारी दल भाजपा को प्रसन्न करने के लिए राज्यपाल पद की सारी गरिमा और निष्पक्षता को ताक पर रख दिया था। इसी ‘स्वामी भक्ति’ के परिणाम स्वरूप धनखड़ को उपराष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया। सरकार के आगे समर्पण के प्रसाद स्वरूप मिले पद को उन्होंने कुछ समय बाद यह मान लिया कि शायद यह उन्हें उनकी योग्यता के कारण मिला है। यहीं गलतफहमी उनकी इस स्थिति का कारण बनी है। इसका अर्थ यह है कि जब सत्ता द्वारा कोई पद आपको योग्यता से बड़ा दिया जाय और आपको यह गलतफहमी हो जाय कि वह आपको योग्यता से मिला है तो शीघ्र ही आपको गलतफहमी दूर कर दी जाती है। आपको उपयोगिता नहीं रहने पर आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दिया जाता है। ऐसा करते समय इस बात का भी लिहाज नहीं रखा जाता कि आप उपराष्ट्रपति जैसे किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हैं।

इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और ‘यूज एंड थ्रो’ वाली नीति काम में ली जाती है । भाजपा और प्रधानमंत्री को असहमति कतई स्वीकार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करते हुए धनखड़ ने जिस प्रकार का पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया, उसने पद की गरिमा और निष्पक्षता को ताता-ताक कर दिया। इसके बावजूद सरकार द्वारा उनको अचानक पद से हटा दिया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति अपने पद से अपेक्षित कार्य करने के बजाय स्वामी भक्त की तरह कार्य और व्यवहार करेगा, उसका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं हो सकता है। उसका वही हथ्र होगा जैसा जगदीप धनखड़ का हुआ है।

यह बात नौकरशाहों पर भी लागू होती है। अधिकारी ,राजनीतिक आकाओं की चापलूसी करके महत्वपूर्ण पद भले ही प्राप्त कर लें किंतु जैसे ही वे उनकी मनमानी के अनुसार काम करने से इनकार करेंगे तो उन्हें तत्काल अमानजनक रूप से हटा भी दिया जाएगा। नौकरशाहों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्षता के साथ संविधान के अनुरूप अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए जनहित में काम करें। जो सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञों को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उनके लिए किसी को भी सदैव प्रसन्न करना संभव नहीं है । इसी कारण सत्ताधारी लोगों के मनपसंद काय किए जाने के बावजूद कोई भी एक काम उनके अनुकूल न होने पर उन्हें तत्काल हटा दिया जाता है। गत कुछ वर्षों से देखा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी सरकार, विशेषकर उसके सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपने पद की गरिमा को नोचे गिराने का काम करते हैं और पूर्णतया पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वे संवैधानिक पद पर नहीं अपितु केवल सरकार के अधीन ही कार्य कर रहे हैं ।

राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ ने यह बात कई बार सिद्ध की है। यह बात राज्यपाल, सूचना आयुक्तों, सीएजी आदि पर समान रूप से लागू होती है। आजकल चुनाव आयोग, जो कि पूर्णतया संवैधानिक संस्था है, वह भी सरकार के इशारे पर ही कार्य करता प्रतीत हो रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार में चल रहा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इसके बारे में कई समस्याएं और शंकाएं सभी दलों द्वारा व्यक्त की जा रही हैं । इसके बावजूद, चुनाव आयोग इस पर विचार करके इसका हल निकालने के स्थान पर अपनी ही जिद्द में केवल सत्ताधारी दल को खुश करने के लिए इस काम को लगातार कर रहा है। इसके कारण लाखों लोगों के नाम मतदाता सूचियां से कटने की आशंका उत्पन्न हो गई है। चुनाव आयोग में बैठे लोगों को धनखड़ का प्रसंग याद रखना चाहिए कि वे चाहे किन्तना ही सरकार को प्रसन्न करने का काम कर लें, उनकी छवि तो जनता के हित में किए गए निष्पक्ष कार्य से ही बनेगी।

आज जगदीप धनखड़ की ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके लिए औपचारिक रूप से एक विदाई समारोह तक आयोजित नहीं किया गया । उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद सत्ता धारी दल का कोई भी नेता उनके घर पर उनके हाल तक पूछने नहीं गया। प्रधानमंत्री ने भी बहुत बेरंग सा ट्वीट किया। यह व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति है जिसने सत्ता धारी दल के शीर्षस्थ नेताओं को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे इसके लिए उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में 50 संसदों का एक साथ निष्कासन ही क्यों न करना पड़ा हो।

सरकार द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति इस व्यवहार को अमर्यादित बताने वाले यह भूल गए कि धनखड़ ने स्वयं पद पर रहते हुए इस पद की मर्यादा को कई बार ताता-तार किया था। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है कि “बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय” । यदि आपने स्वयं ने अपने पद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो आपको यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति भी आपके पद की मर्यादा की परवाह करेंगे।

सामान्य नागरिक के लिए भी इस प्रकरण से एक संदेश निकलता है। जब उपराष्ट्रपति पद के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का तिरस्कार पूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा सकता है तो फिर अन्य सामान्य नागरिकों या अन्य पदों पर बैठे व्यक्तियों के साथ यदि सरकार की नाराजगी हो जाए तो उन्हें किस प्रकार से सजा दी जाएगी, यह समझ में आ जाना चाहिए। यही अधिनायकवाद के प्रारंभिक लक्षण है।

जगदीप धनखड़ के साथ हुए व्यवहार से यह संकेत स्पष्ट है कि सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा में बाधक बनने वाले लोग कतई पसंद नहीं हैं। अब, सत्ता के उच्च पद पर बैठे लोगों को नाराज करने का या उनके साथ गुस्ताखी करने का काम, कोई भी नहीं करेगा। यह संदेश देने में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह सफल रहे हैं। उनके बाद संभावना कम है कि कोई व्यक्ति सरकार के मुखिया को किसी भी रूप में जाने- अनजाने, नाराज करने का साहस जुटा पाएगा।

इस घटनाक्रम का एक सबक यह भी है कि दल बदलुओं को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और विचारधारा में विश्वास रखने वाले पुराने साथियों को सदैव प्रार्थमिकता दी जानी चाहिए । यह समझना होगा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक दल को छोड़ सकता है, तो वह किसी दूसरे स्वार्थ के लिए नए दल को भी छोड़ने में कोई समय नहीं लागेगा। यह उल्लेखनीय है कि जगदीप धनखड़, कई राजनीतिक दलों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे थे।

महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना ही उनके स्वयं के लिए लाभकारी होगा। तात्कालिक लाभ के लिए अपने सारे सिद्धांत को छोड़कर केवल स्वार्थ के प्रति समर्पित होकर निर्णय लेने से न तो छवि अच्छी होती है ना किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ भी अंततः होता है ।

जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ने के बाद कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है । सबको इस बात की प्रतीक्षा रहेगी कि वह इस विषय पर क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने जब केंद्र सरकार और मोदी के विरुद्ध अपनी बात सार्वजनिक रूप से कही तो उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, यह सबके सामने है । उनके उदाहरण को ध्यान में रखते हुए संभव है, इस संबंध में धनखड़ अपना मुंह नहीं खोलें और चुपी ही साध लें। यदि ऐसा हुआ, तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सदैव रहस्य के आवरण में ही रहेगा। और राजनैतिक विश्लेषक अपना अपना कयास लगाते रहेंगे।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणगावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अशोक शर्मा

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय योगदान रहा है। उनका योगदान विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में परिलक्षित होता है।

संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भूमिका

डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर, 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अध्यक्ष के रूप में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की भूमिका कई मायनों में महत्वपूर्ण थी:—

सदन का संचालन: उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया। जटिल बहसों, विचारों के टकराव और विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा। उनकी कुशल अध्यक्षता ने यह सुनिश्चित किया कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले।

सर्वसम्मति और सामंजस्य: संविधान निर्माण एक विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और

विचारधाराओं के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने शांत स्वभाव, धैर्य और दूरदर्शिता से सदस्यों के बीच सर्वसम्मति बनाने और सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विवादों को सुलझाने और सहमति बनाने में मदद की, जिससे संविधान को व्यापक स्वीकार्यता मिली।

समितियों का मार्गदर्शन: संविधान सभा ने विभिन्न समितियों का गठन किया था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्‍ट्रपति समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इन समितियों के कार्यों का मार्गदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। वे स्वयं कई महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे, जैसे:— प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure Committee), वित्त और कर्मचारी समिति (Finance and Staff Committee), संचालन समिति (Steering Committee)।

राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee on National Flag) भारतीय मूल्यों का समावेश: डॉ. राजेंद्र प्रसाद एक गांधीवादी और भारतीय संस्कृति के गहन जानकार थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि संविधान में भारतीय परंपराओं, मूल्यों और आकांक्षाओं का समुचित समावेश हो, साथ ही यह आधुनिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो।

समयबद्धता का ध्यान: भले ही संविधान निर्माण में लगभग तीन वर्ष (2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन) का समय लगा, लेकिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबी न

खिंचे और एक निश्चित समय-सीमा में संविधान का मसौदा तैयार हो।

निष्कर्ष— डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता ने संविधान सभा को एक मजबूत और कुशल मंच प्रदान किया, जहाँ भारत के भविष्य के कानून का निर्माण किया जा सके। उनके नेतृत्व में ही 26 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान अपनाया गया। उनके धैर्य, निष्पक्षता और कुशल संचालन ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो देश की विविधता को समाहित करता है और उसके लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखता है। उनके अक्सर संविधान निर्माण में उनके अपेक्षित सम्मान से कम मिलने की बात कही जाती है, जबकि उनका योगदान अतुलनीय था।

—अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

महात्मा गांधी विद्यालय में 80-90 वर्ष पूर्व बने कमरे गिरने की कगार पर

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षतिग्रस्त कमरों को हटाने की मांग की

पावडा, (निसं)। विराटनगर के ग्राम पापड़ा में संचालित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरों के हालात खराब हैं।

लगभग 80-90 वर्ष पूर्व विद्यालय में सात कमरों का निर्माण करवाया गया था, ज्योकि वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इन कमरों की जर्जर अवस्था को देखते हुए व किसी घटना की आशंका से प्रधानाचार्य द्वारा इन क्षतिग्रस्त सात कमरों को बंद कर दिया है। ये सात कमरे पूरी तरह से जर्जर होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिये गये हैं, ये कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर इन क्षतिग्रस्त सात कमरों को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार स्कूल के हालात को उच्च अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के सामने रखा



विराटनगर के ग्राम पापड़ा में संचालित महात्मा गांधी रा. उ. मा. स्कूल के कमरों के हालात खराब हैं।

लेकिन हालात नहीं बदले। उच्च अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यदि भविष्य में इससे कोई

जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की होगी।

“हरियालो राजस्थान अभियान” के तहत स्कूल के बच्चों को पौधे बांटे

नागौर, (निसं)। नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मांजवास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में “हरियालो राजस्थान अभियान” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत पर्यावरण प्रेमी दीपक कच्छावा द्वारा शाला के सभी बालकों को अपने परिवार, खेत-खलियान परिसर में लगाने के निमित्त पौधे प्रदान किए गए। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाभाशाह इंरारमल मांजू, सांवताराम मांजू, पन्नालाल कच्छावा, ललित सांखला, डॉ. राजेश्वरी सैनी के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पर्यावरणप्रेमी दीपक कच्छावा द्वारा नी वर्ष में सवा लाख पौधे तैयार करके वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी के निमित्त यह पौधरोपण व वितरण का कार्य संपन्न हुआ।



नागौर के गांव मांजवास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण प्रेमी दीपक कच्छावा ने बालकों को पौधे प्रदान किए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में दीपक कच्छावा ने “एक पौधा गुरु के नाम अभियान” को भी प्रारंभ करने का संकल्प दिलाया, जिसमें बताया कि प्रत्येक शाला शिक्षक के जन्म दिवस

मेघ
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटकें हूए कार्य बने लगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हों लगेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ बनी रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित बातों सफल रहेंगी।

वृश्चिक
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मीन
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अजमेर में तेज बारिश ने शहरवासियों की फिर से चिंता बढ़ाई, कई जगह जलभराव

नाले ओवरफ्लो हुये, खानपुरा तालाब की चादर चली, खेतों में फसलें चौपट हुई

अजमेर, (कासं)।गत दिनों जहां भारी बरसात के चलते आनासागर सहित कई बस्तियों में भरे पानी की निकासी अभी तक चल रही है तो वहीं दूसरी ओर शहर में सोमवार सुबह सात बजे से नौ बजे तक दो घंटे कई धीमी तो कहीं तेज बारिश ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी। कई कॉलोनियों में तो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे जल निकासी की पुरानी व्यवस्था एक बार फिर फेल नजर आई और लोग कीचड़ व जलभराव से जूझते नजर आए।

सोमवार को अजमेर शहर सहित जिलेभर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था।तेज बारिश से पहाड़ों का पानी बांडी नदी के जरिए आनासागर झील से लगातार आरहा है,जिससे झील से प्रशासन द्वारा निरंतर पानी की निकासी की जा रही है। एक्केप चैनल में तेज



अजमेर में भारी बरसात से कई नदी-नालों में पानी की आवक हुई।

बहाव के कारण ब्रह्मपुरी का नाला लबालब होने से क्षेत्र के घरों में अभी भी पानी भरा है। आनासागर का पानी

एक्केप चैनल के जरिए खानपुरा तालाब पहुंचने से तालाब ओवरफ्लो होने से चादर चलने से पानी का सड़कों पर आ

गया, जिससे आस-पास की संपर्क सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना

■ **तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया, लोग परेशान हुये**

करना पड़ा। चादर चलने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो गई। किसानों ने प्रशासन से गिरदावरी की मांग की है।

मौसम विभाग ने 29 व 30 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए कलेक्टर लोकबंधु ने जिले के सभी एलकेजी से 12वीं तक के सरकारी व निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार बारिश से राहत दल भी सतर्क कर दिए गए हैं।

अजमेर में तेज बारिश से बांडी नदी की दीवार गिरी

अजमेर, (कासं)।स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 5.29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई पुष्कर रोड स्थित बांडी नदी रिवर फ्रंट डवलपमेंट की दीवार सोमवार सुबह हुई तेज बारिश से 200 मीटर ढह गई। हादसे के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बल्लियों व मिट्टी के कट्टों से अस्थायी सुरक्षा इंतजाम किए। बांडी नदी किनारे बनाए गए वॉकिंग ट्रेल और लाल पत्थर से सजी दीवारें स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण योजना का हिस्सा थी।

स्थानीय नागरिकों का कहना रहा कि दीवार पिछले साल भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इस बारे में नगर निगम और एंडीए

अधिकारियों को सूचना दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही का नतीजा सोमवार को सामने आया। तेज बारिश में दीवार का एक हिस्सा नदी में गिर गया।स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि सौंदर्यकरण के नाम पर महज लीपापोती की गई थी, जिस मार्ग पर दीवार ढही वह कॉलोनी का मुख्य रास्ता है, जिससे लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है।

480 मीटर का बनाया था रिवर फ्रंट
:-गौरतलब है कि पुष्कर रोड से आरके पुरम तक कुल 480 मीटर का रिवर फ्रंट बनाया गया था। ज्ञान विहार कॉलोनी के पास भी 125 मीटर निर्माण हुआ। इंटरलॉकिंग पेवर

■ **स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 5.29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी**

ब्लॉक, स्टील रेलिंग और फेंसिंग के साथ वॉकिंग ट्रेल विकसित किया गया था। दावा था कि यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी, मगर हकीकत यह है कि स्मार्ट सिटी का सपना बारिश में ही ध्वस्त होता नजर आया।

अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या तीन के राधा विहार कॉलोनी हरिभाऊ उपाध्याय मुख्य के पास

स्थित बांडी नदी का अजमेर विकास प्राधिकरण लाखों रुपये खर्च कर सौंदर्यीकरण कराया गया था, परंतु ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं करने के कारण कुछ समय बाद ही बांडी नदी के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गयी दीवार सोमवार को ढह गई। कांग्रेस कमेटी अजमेर उत्तर ब्लॉक बी के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल सहित कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन व एडीए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कई बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा क्षतिग्रस्त दीवार के सहारे बल्लियों

से बेरोकटिंग करा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। शैलेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही का परिणाम ही रहा कि सोमवार को प्रातः हुई बरसात में क्षतिग्रस्त दीवार ढह गयी और मलबा बांडी नदी में समा गया। शैलेंद्र अग्रवाल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शौघ्रताशौघ्र बांडी नदी की क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक कराया जाए ताकि किसी तरह की जनहानि नहीं हो। अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन संबंधी कार्य पड़ेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

दुकान खाली करने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निस्)।जिले के रायसिंहनगर में पुलिस ने दुकान खाली करने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1० हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ था।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 6 जनवरी 2024 को अनिल कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनिल कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुरानी धान मंडी में किराना दुकान है। इस दुकान को लेकर उसका मालिक के साथ विवाद चल रहा है। उनके पुत्र मनीष मिमलानी के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करने के कश्मकी दी थी। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड का लेफ्ट हैंड बताते हुए कहा था कि दुकान शाम तक खाली कर दें, नहीं तो उनके भाई और परिवार को गोलियों से भून देंगे।

इस मामले में थानाधिकारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कॉल

■ **आरोपी पर 10 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ था**

डिटेल का विश्लेषण कर आरोपी की मौजूदगी का पता लगाया। पुलिस ने 1० हजार रुपए के इनामी आरोपी सेटीराम उर्फ सुनील कुमार (28) को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीकानेर जिले के खाजुवाला थाना क्षेत्र के 1० बीडी का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी बाड़मेर जिले के सिवाना में धमकी देने का मामला दर्ज है। आरोपी से पूछताछ और जांच जारी है। इस गिरफ्तारी में कॉन्स्टेबल अशोक कुमार का विशेष योगदान रहा। पुलिस टीम में उप-निरीक्षक केदारलाल, कॉन्स्टेबल अशोक कुमार, सुमित और मनीष कुमार शामिल थे।

हथकढ़ शराब की सूचना पर डबली में दबिश, विरोध में ग्रामीणों का धरना

ग्रामीणों ने दो पुलिसकर्मियों पर महिला दुकानदार से अभद्रता करने और उसके भाई से मारपीट करने का आरोप लगाया

■ **आरोप है कि पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटते हुए नीचे गिराकर प्राइवेट पार्ट पर चोट मारी है**

की डबली चौकी के कांस्टेबल मान सिंह व शंकर गोदारा गांव में ही एक महिला की परचून दुकान पर पहुंचे थे। तभी वहां तजेंदर पाल सिंह घरेलू सामान लेने के लिए गया था, जहां उसने देखा कि कांस्टेबल शंकर गोदारा और मान सिंह दुकान की महिला दुकानदार से अभद्रता कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध

किया तो पुलिसकर्मियों ने उससे बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर आक्रोशित ग्रामीण डबली चौकी के समक्ष धरने पर बैठ गए।ग्रामीणों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे सदर एसएचओ अजय गिरधर ने उचित जांच के साथ सोमवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया तो ग्रामीण माने।

धरनास्थल पर डबली वास मौलवी सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सुमल, डबली कुतुब सरपंच जगतार सिंह, पीलीबंगा पंचायत समिति सदस्य करण गाबा, मनीष मक्कासर, तलविंदर

विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी का प्रयास

पाबटा, (निस्)।विराटनगर थाना क्षेत्र के मेड पुलिस चौकी इलाके के जोधुला गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। चोरों ने एक किसान के खेत में लगे 11 हजार हाइवोल्ट के बिजली के तारों को काट दिया और पास ही लगे विद्युत पोल से दो ट्रांसफार्मरों के नट बोल्ट काटकर विद्युत ट्रांसफार्मरों को नीचे गिरा दिया। हालांकि चोरी का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन चोरों ने ट्रांसफार्मरों के साथ छेड़छाड़ की, जिससे ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है और संभावना जताई जा रही है कि कुछ सामान चोरी किया गया हो सकता है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसफार्मरों से क्या-क्या सामान चोरी हुआ है। इस संबंध में पूरी जानकारी विद्युत विभाग के लाइमैन की रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी।

जिला कारागृह का निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निस्)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार अभय जैन (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) एवं विशाल भार्गव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागृह भीलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने जेल अधीक्षक भैरू सिंह राठौड़ से बंदियों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली एवं बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया एवं जेल परिसर में स्थित रसोईघर का भी निरीक्षण किया।

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इनके बरी होने पर राज्य सरकार की तरफ से “लीव टू अपील” दायर की गई थी। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी। ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

एडवोकेट खिलेरी ने बताया कि जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में मामला सुचीबद्ध (लिस्टेड) था। सुनवाई दो मुख्य अपीलों से संबंधित थी। इनमें पहली अपील सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। पूर्व में

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल के कारावास और 25,०0० रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ पेश “लीव टू अपील” में शामिल थी। सह अभियुक्तों (सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इन्हें बरी करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में पहले ही सलमान खान को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं सहअभियुक्तों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किया गया था। मामले में सलमान ने ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की हुई है। वहीं सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को बरी करने के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है।

एडवोकेट ने बताया कि सलमान खान के वकीलों ने उनकी सजा के खिलाफ पूर्व में एक ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की थी, ताकि उनके खिलाफ दायर अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ संलग्न किया जा सके। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रजिस्ट्री की ओर से इस मामले में मिले ट्रांसफर रिकॉर्ड का अपील नंबर राजस्थान हाईकोर्ट के नंबरों के अनुसार लिस्टेड किया जाए। तकनीकी कारणों से यह नहीं हो पाया था।

इस पर जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने आज आदेश दिया कि सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महानगर/ग्रामीण जोधपुर) में पेश की गई अपील को भी ट्रांसफर पिटीशन के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में लिस्टेड किया जाए। इसके साथ ही दोनों प्रकरणों को एक साथ शामिल करते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी।

वाहन चोर गिरफ्तार

सरवाड़, (निस्)। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से तीन मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की।

जानकारी के अनुसार शहर में सांपला गेट सरवाड़ से चार दिन पहले हुई मोटरसाइकिल का खुलासा

■ **आरोपियों से तीन मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की**

किया। राजाराम पुत्र गणेश प्रजापत निवासी सांपला गेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ले गए थे। जिस पर सरवाड़ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अलग-अलग जगह



पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिस पर युसुफ पुत्र जहीर खॉं निवासी नगर सरदार नगर बनेड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी लौहा गोदाम के पीछे भटटा बस्ती केकड़ी, वहीं दूसरा आरोपी आलि

असकर पुत्र सलीम मोहम्मद निवासी मदीना मस्जिद के पास भट्ट बस्ती केकड़ी इनको डिटैन कर पूछताछ की गई, जिस पर आरोपियों ने चार बारदात कबूल की।

दूषित पानी पीने से एक दर्जन ग्रामीण बीमार

छबड़ा, (निस्)। फूलवडौदा गांव में दूषित पानी पीने से लगभग एक दर्जन ग्रामीणों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिनमें से सात का उपचार चल रहा है, जबकि चार को छुट्टी दी जा चुकी है।

बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल के पास से गुजर रहे नाले का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। गांव के कुछ लोगों द्वारा नाले का रास्ता रोकने से गंदा पानी ट्यूबवेल के आसपास जमा हो रहा है। इसी पानी का रिसाव अब ट्यूबवेल के जल स्रोत में मिल रहा है, जिससे दूषित पानी ग्रामीणों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों की तबियत बिगड़ गई, जिनमें चेतन, सुरेश, कृष्ण मुरारी, जितेंद्र, मांगीलाल, युवराज, मनोज, गीता बाई लव रूपवती को उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।

इस मामले में ब्लॉक चिकित्सा

■ **ग्रामीणों को उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया, चार को छुट्टी दी**

अधिकारी हरिसिंह मीणा ने बताया कि गांव में मेडिकल टीम भेज दी गई है और पानी के सैमल लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों को फिलहाल साफ पानी उपलब्ध कराने और जल स्रोत की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, चिकित्सा प्रभारी हरिओम गोयल ने बताया कि सभी मरीजों को डायरिया, उल्टी और दस्त की शिकायत है। गांव में स्वच्छता अभियान चलाने और लोगों को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

सरसों के तेल की फैक्टरी पर दबिश, 2०0 लीटर तेल के टीन जब्त



खाद्य सुरक्षा टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की।

पाली, (निस्)। जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औरभि नियंत्रण एच गुड्टे के निर्देश पर पाली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में रानी स्टेशन में संचालित सरसों के तेल की फैक्टरी पर रविवार को दबिश दी गयी। इस दौरान सरसों के तेल की निर्माण व उत्पादक इकाई के मूल दस्तावेजों की जांच की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि रानी में वर्षों से निर्माण व उत्पादक इकाई का खाद्य लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी खाद्य कारोबार द्वारा अवैध

■ **बिना खाद्य लाइसेन्स चल रही निर्माण एवं उत्पादक इकाई में कार्रवाई की**

रूप से सरसों के 15 किलोग्राम, 5 लीटर व 1 लीटर तेल की पैकिंग का कार्य चल रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा मय दल द्वारा फैक्ट्री संचालक के निर्माण व उत्पादक इकाई व गोदाम से 3200 लीटर सरसों व पोमोलोन तेल के टीन जब्त किये गये। इन सभी टीन पर भारतीया खाद्य मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों का लेबल पर अंकन नहीं पाया गया। टीम ने कार्यवाही करते हुये गोदाम व निर्माण इकाई से 5 सैम्पल जांच हेतु

लिये, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ ऑर्परेंट आमप्रकाश प्रजापत, रेकसो चालक लक्ष्मणदान चरण, होमगार्ड दिनेश कुमार गर्ग उपस्थित रहे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि रानी मैंन बाजार मोती ऑयल मिल व मैसर्स फूलचन्द सोहनलाल की फर्म पर कार्यवाही की। मोती ऑयल मिल में बिना लेबल के 115 टीन 15 किलो के मिले, जिन्हें मौके पर सीज किया गया। साथ ही गोदाम में रखे हुये 24 टीन परी ब्रान्ड सरसों का तेल का लेबल लगा था जिस पर अवधि पर तिथि का अंकन नहीं था। साथ ही इसी गोदाम से ज्योती ब्राण्ड के रिफाईनड पोमोलोन तेल के 4० टीन सीज किये गये।

मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए करौली को स्वर्ण पदक दिया

भजनलाल ने एचसीएम रीपा संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में पुरस्कार वितरित किये

■ पिछड़े जिलों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2018 से आशान्वित जिला कार्यक्रम शुरु किया गया था। राजस्थान के बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली व सिरौही जिलों को इसमें शामिल किया था। इसी प्रकार 2023 में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉक शामिल किये गये थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एचसीएम रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया।

प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरौही जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया। वहीं वर्ष 2023 में प्रारम्भ हुए आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सम्पूर्णता अभियान के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा

स्थापित 6 प्रमुख संकेतकों की संतुष्टि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया। उन्होंने 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतुष्टि वाले जिले करौली को स्वर्ण पदक तथा 4 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतुष्टि वाले 4 जिलों बारां, धौलपुर, जैसलमेर एवं सिरौही को कांस्य पदक से सम्मानित किया। साथ ही आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतुष्टि वाले 3 ब्लॉकों जायल (नागौर), रानी (पाली) और खैरवाड़ा (उदयपुर) को स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को

रजत, कांस्य एवं ताम्रपत्र श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान सात तत्कालीन जिला कलेक्टरों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक्स कार्यक्रमों की क्रियान्विति और इसके सकारात्मक प्रभाव तथा उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस दौरान एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा और आयोजना विभाग में प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा सहित संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

न्यायिक कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे

जयपुर, 28 जुलाई।कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर गत 18 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने की घोषणा की है। इसके चलते प्रदेश की 1600 से अधिक अधीनस्थ अदालतों में ठप पड़ा कामकाज वापस पटरी पर लौटेगा।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर संघ ने विधि मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कैडर पुनर्गठन को लेकर जल्दी ही आदेश जारी करने का

■ विधि मंत्री के आश्वासन के बाद 18 जुलाई से चल रहा सामूहिक अवकाश समाप्त करने की घोषणा की।

आश्वासन दिया है। इसके चलते सामूहिक अवकाश को वापस ले रहे हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिनों एक आपराधिक मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश नहीं होने पर न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी करते हुए अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर निर्लज्ज तक करने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने जिला कलेक्टर को भी वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे।

अदालत की ओर से कठोर रुख अपनाने के बाद कई जिला न्यायिक कर्मचारी संघ काम पर वापस लौट आए थे। वहीं प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ ने भी परीक्षाओं पर चल रहे कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने को कहा था।

पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइन्ड मारा गया

सेना ने “ऑपरेशन महादेव” के तहत तीन आतंकवादी मार गिराए

■ सेना के सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकीयों में पाक आतंकी तथा लश्करे तय्येबा का सदस्य सुलेमान शाह उर्फ हाशिम भी था जो गत 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, उस पर 20 लाख रु. का इनाम भी था।

पहलगाम हमले में एक स्थानीय निवासी और 25 पर्यटक मारे गए थे और भारत तथा पाकिस्तान एक पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुलेमान और दो अन्य के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक एम4 और एके-47 राइफल, ग्रेनेड

और अन्य हथियार और गोला-बारुद भी बरामद किया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी आतंकीयों मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पुलिस-प्रशासन इस बारे में पूरी जानकारी देगा। मैं सेना, पुलिस और इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। रक्षा सूत्रों के अनुसार, एक हफ्ते पहले सुरक्षाबलों को श्रीनगर के दाचीगाम जंगल में आतंकीयों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इन आतंकीयों ने हमले के बाद पहली बार एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रैस हुए।

इसके बाद सुरक्षाबलों ने आतंकीयों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। आज सुबह लगभग 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल और 4 पैरा यूनिट के जवानों की एक टुकड़ी ने एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करके आतंकीयों का लोकेशन पता लगाया और वहां छिपे तीनों आतंकीयों को मार गिराया।

दिव्या देशमुख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ अगले साल के विमेंस कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी ही भारतीय बनीं। कोनेरू हम्पी ने भी फाइनल में जगह बनाने के साथ कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व कप जीतने तथा कोनेरू हम्पी को उपविजेता बनने के लिए बधाई दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्टोरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2024 के आम चुनावों में आधार को स्वीकार किया गया था और बिहार में यह व्यापक रूप से उपयोग में है। यह भी तर्क दिया गया कि बिहार जैसे राज्य में, जहाँ गरीबी, अशिक्षा और प्रवासन की दर अधिक है, वहाँ चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाणपत्र आदि, आम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब चुनाव आयोग उन लोगों से भी पात्रता का प्रमाण मांग रहा है, जिन्होंने पहले कई बार मतदान किया है। यदि वे ऐसा प्रमाण देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वाली में थरुर का नाम नहीं

नई दिल्ली, 28 जुलाई। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद शशि थरुर अपनी पार्टी से अलग थलग नजर आ रहे हैं। विरवस्त सूत्रों के मुताबिक थरुर ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कांग्रेस को साफ-साफ कह दिया है कि वह इस मसले पर वही बात कहेंगे जो कहते आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने थरुर से बहस में शामिल होने के लिए

■ चर्चा है कि थरुर ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना से इंकार कर दिया।

कहा था जिसपर उन्होंने कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी लाइन का पालन नहीं कर सकते। उनसे जब संसद परिसर में पत्रकारों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल किया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ कहा मौन ब्रता। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने सांसदों की जो सूची जारी की है उसमें गौरव गोरोई, प्रियंका गांधी वाड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रणीति शिंदे, सप्तगिरी उलाका तथा बिजेन्द्र एस ओला शामिल है। सूची में थरुर का नाम नहीं है।

‘इन-हाउस जाँच में शामिल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डालना, मीडिया ट्रायल, जनता द्वारा न्यायाधीशों का दोष तय करना, ये सब निषिद्ध हैं। अगर प्रक्रिया इसकी अनुमति देती है, तो यह संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन है।”

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र का हवाला दिया जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने पूछा, “आपको कैसे पता कि उस पत्र में महाभियोग की बात की गई? वह पत्र सार्वजनिक डोमेन में नहीं है?” जब सिम्बल ने कहा कि नकदी आउट हाउस से मिली थी और पूछा कि इसका संबंध न्यायाधीश से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो जस्टिस दत्ता ने कहा, “पुलिस, एफआईआर, स्टाफ - सभी वहां थे और नकदी बरामद हुई।” सिम्बल ने जवाब दिया कि न्यायाधीश का स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। जब जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या वह यह कह रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है, तो सिम्बल ने कहा, “हां, नहीं है।”

जस्टिस दत्ता ने पूछा, “जब समिति गठित हुई थी, तब आपने उसे चुनौती क्यों नहीं दी? आपने इंजवाब क्यों किया? अतीत में भी कुछ न्यायाधीश इन कार्यवाहियों से दूर रहे हैं।” सिम्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा इसलिए समिति के सामने पेश हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि समिति नकदी के असली मालिक का पता लगाएगी। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। जस्टिस वर्मा तब सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली स्थित उनके आवास में आग लगने के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें

बिजौलियां के तिलस्वां में सड़क पर नाव चली

मांडलगढ़ में तेजपुरा बांध के सभी गेट खोले, गोवटा बाँध में चार फीट की चादर

माण्डलगढ़, 28 जुलाई (निसं)। मांडलगढ़ और बिजौलियां इलाके में पिछले 24 घण्टे से हो रही भारी बारिश से आधा दर्जन नदियां उफान पर चल रही हैं। बिजौलियां के तिलस्वां में बाढ़ के हालात बन गए हैं। रविवार रात को नौ इंच बारिश होने से एरु नदी उफान पर आ गई, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के घरों और दुकानों में तथा सड़कों पर चार से पांच फीट पानी भर गया। लोग छतों पर जाने को मजबूर हो गए। कई लोगों को सड़क पर नाव चला कर रस्क्यू किया गया। मांडलगढ़ के जेतपुरा बांध के सभी गेट सात फीट तक खोले गए हैं और गोवटा बांध पर चार फीट की चादर चल रही है।

मानपुर गांव की एक बस्ती के घरों में पानी घुस गया। तिलस्वां मंदिर के बाहर कॉलोनी और बाजार जलमग्न

■ मांडलगढ़ में लगातार बारिश के दौर के कारण सड़कों की पुलियाओं पर पानी आ गया। बरुनंदनी, जोजवा, मानपुरा, श्यामपुरा आदि दो दर्जन से अधिक गाँवों का सड़क सम्पर्क टूट गया।

होने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा के कलेक्टर जसमोत सिंह सिद्धू ने तिलस्वां और जेतपुरा बांध के हालात का जायजा लेकर स्थानीय

प्रशासन के अधिकारियों और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मांडलगढ़ में लगातार बारिश के दौर और नदियों के उफान और कई बांधों की चादर चलने से सड़कों की पुलियाओं पर पानी आ गया है, जिससे बरुनंदनी, जोजवा, मानपुरा, श्यामपुरा सहित दो दर्जन से अधिक गांवों का सड़क सम्पर्क टूट गया है। मैनाली, बेडूच, बनास नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। मांडलगढ़ में श्यामगढ़ के पास नदी बनी पुलिया पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक ट्रेलर चालक जान जोखिम में डाल कर पुलिया पार कर रहा था और हादसा हो गया। पुलिया के पानी में फिसल कर ट्रेलर नदी में जा गिरा, गनीमत रही कि ट्रेलर का चालक तैर कर बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई।



बिजौलियां के तिलस्वां में भारी बारिश से एरु नदी में उफान आ गया जिससे बाढ़ के हालात बन गये। सड़कों पर चार से पांच फीट पानी भर जाने से सड़क पर नाव से लोगों का रेस्क्यू किया गया।

गडकरी द्वारा सरकार के काम काज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुसार, गडकरी की यह नाराजगी अचानक नहीं है। हाल के वर्षों में उन्हें पार्टी के अहम फैसलों से दूर रखा गया है—2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उन्हें पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गडकरी की ये टिप्पणियां मोदी सरकार में उनके घटते राजनैतिक महत्व के प्रति असंतोष की झलक हैं, जबकि वे सरकार के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में उनकी कार्यक्षमता और

बेबाकी की अक्सर तारीफ होती रही है। ऐसे में उन्हें पार्टी के आंतरिक नियंत्रणों से अलग रखना स्वयं संघ परिवार के बाहर भी और भीतर भी सवाल खड़े करता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो गडकरी की विचारधारा की जन्मस्थली है, मोदी और शाह की केंद्रीकृत कार्यशैली को लेकर लंबे समय से असहज महसूस कर रहा है। संघ के भीतर से समय-समय पर यह संकेत भी मिलते रहे हैं कि 2014 में मोदी द्वारा तय की गई 75 वर्ष की अनौपचारिक रिटायरमेंट सीमा का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इसी साल 75 वर्ष के

हो रहे हैं, और ऐसे में पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस पृष्ठभूमि में गडकरी की हालिया टिप्पणी को एक राजनीतिक पहचान की पुनःस्थापना के तौर पर देखा जा रहा है—संभवतः यह भाजपा के भीतर एक वैकल्पिक नेतृत्व संकेत भी हो सकता है। हालांकि मोदी के नेतृत्व को अभी कोई खुली चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन संघ से गहरे जुड़े एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से असंतोष व्यक्त करना यह इशारा हो सकता है कि भाजपा एक “पोस्ट-मोदी” (मोदी के बाद) युग की आंतरिक तैयारी की ओर बढ़ रही है।

उच्च न्यायालयों में 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति

नयी दिल्ली, 28 जुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चार उच्च न्यायालयों के लिए 19 न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय की ओर से सोमवार को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार फिल्लई और हिमांशु जोशी की नियुक्ति की गई।